

10. क्या धारा 164 के अधीन अधिकतम सीमांत दर से कर के लिए दायी हैं? हाँ नहीं

11. वार्ड /सर्किल/रेंज

12. निर्धारण वर्ष -

13. निवासीय प्रास्थिति (कृपया अनुदेश देखिए)

14. यदि अधिकारिता में परिवर्तन है तो पुराना वार्ड / सर्किल/ रेंज बताएं

15. वह धारा जिसके अधीन यह विवरणी फाइल की जा रही है आय की विवरणी सीमांत फायदों की विवरणी
(कृपया अनुदेश देखिए)

16. विवरणी मूल है या संशोधित

यदि संशोधित है तो रसीद सं० और मूल विवरणी फाइल करने की तारीख । और -

17. क्या यह आपकी पहली विवरणी है? हाँ नहीं

केवल कार्यालय उपयोग के लिए

अभिस्वीकृति
केवल कार्यालय के प्रयोग के लिए
पावती सं०.

तारीख
.....

प्राप्त करने वाले पदाधिकारी के हस्ताक्षर
और मुद्रा

भाग ख
(क) कुल आय की संगणना

18. गृह संपत्ति - आय [अनुसूची- (च-1क)]	000	
19.(i) कारबार या वृत्ति से लाभ और अभिलाभ [अनुसूची- (च-1ख)]	000	
(ii) उपरोक्त(i) में सम्मिलित प्रतिभूति संव्यवहार कर को प्रभार्य संव्यवहारों से लाभ और अभिलाभ [अनुसूची- (ख-26(ii))]	000	
20. पूंजी अभिलाभ		
(क) अल्पकालिक (धारा 111क के अधीन) [(अनुसूची च-1ग(i))]	000	
(ख) अल्पकालिक (अन्य) [(अनुसूची च-1ग(ii))]	000	
(ग) दीर्घकालिक [(अनुसूची च-1ग(iii))]	000	
21. अन्य स्रोतों से आय [(अनुसूची च-1घ)]	000	
22. धारा 11 के अधीन समझी गई आय [(अनुसूची च-4(iv))]	000	
23. कुल [(18)+(19)+(20)+(21)+(22)]	000	
24. घटाएं : आय पर छूट [(अनुसूची च 3(ix))]	000	
25. धारा 11(4) के अधीन प्रभार्य आय [(अनुसूची -ख (34))]	000	
26. कुल आय [(23)-(24)+(25)]	000	
शब्दों में		

(ख) कुल आय पर करों की विवरणी

27. शुद्ध कृषि आय [(अनुसूची च-9)]	000	
28. कुल आय पर कर [(अनुसूची छ-6)]	000	
29. अधिभार [(अनुसूची छ-7)]	000	
30. शिक्षा उपकर जिसके अंतर्गत माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर भी है [(अनुसूची छ-9)]	000	

31. कर +अधिभार + शिक्षा उपकर [(अनुसूची छ-10)]	000	
32. स्रोत पर काटा गया/संगृहीत कर [(अनुसूची छ-14ख)]	000	
33. संदत्त अग्रिम कर [(अनुसूची छ-14क)]	000	
34. संदत्त स्वतः निर्धारण कर [(अनुसूची छ-16ग)]	000	
35. संदेय अतिशेष कर[(31)-(32)-(33)-(34)]	000	
36. धारा 234क/234ख/234ग के अधीन संदेय ब्याज [(अनुसूची छ-11)]	000	
37. संदेय कर और ब्याज [(अनुसूची छ-16)]	000	
38. शोध्य प्रतिदाय, यदि कोई हो [(अनुसूची छ-17)]	000	

भाग -ग

सीमांत फायदों की संगणना और उस पर कर (यदि लागू हो)

1. पहली तिमाही के लिए सीमांत फायदों का मूल्य	0000	
2. दूसरी तिमाही के लिए सीमांत फायदों का मूल्य	0000	
3. तीसरी तिमाही के लिए सीमांत फायदों का मूल्य	0000	
4. चौथी तिमाही के लिए सीमांत फायदों का मूल्य	0000	
5. कुल सीमांत फायदों का मूल्य (अनुसूची- ड)	0000	
6. संदेय सीमांत फायदा कर [(5) का 30%]	0000	
7. (6) पर अधिभार	0000	
8. [(6)+(7)] पर शिक्षा उपकर जिसके अंतर्गत माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर भी है	0000	
9. संदेय कुल सीमांत फायदा कर [(6)+(7)+(8)]	0000	
10. संदत्त अग्रिम सीमांत फायदा कर (अनुसूची -ढ)	0000	
11. संदेय अतिशेष कर [(9)-(10)]	0000	

12. धारा 115बज के अधीन ब्याज	0000	
13. धारा 115बट के अधीन ब्याज	0000	
14. संदत्त स्वतः निर्धारण कर (अनुसूची - ण)	0000	
15. संदेय/प्रतिदेय अतिशेष कर [(11)+(12)+(13)-(14)]	0000	

संलग्न दस्तावेजों/विवरणियों की संख्या

	वर्णन	अंकों में	शब्दों में		वर्णन	अंकों में	शब्दों में
क.	स्रोत पर काटा गया कर प्रमाणपत्र			च.	धारा 11(1) के अधीन विकल्पों के प्रयोग के लिए आवेदन		
ख.	प्ररूप सं0 10ख में संपरीक्षा रिपोर्ट			छ.	प्ररूप 10घख/10घग		
ग.	प्ररूप सं0 10खख में संपरीक्षा रिपोर्ट			ज.	आय/व्यय लेखा और तुलन पत्र		
घ.	धारा 44कख के अधीन संपरीक्षा रिपोर्ट			झ.	अन्य		
ड.	धारा 11(2) के अधीन विकल्पों के प्रयोग के लिए प्ररूप सं0 10						

सत्यापन

मैं.....जो.....का पुत्र/पुत्री हूँ स्थायी लेखा संख्यां.....का धारक हूँ सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता/करती हूँ कि इस विवरणी और इसके साथ संलग्न अनुसूचियों, विवरणों, आदि में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण हैं और यह कि उसमें दर्शित कुल आय/अनुषंगी फायदों की रकम और अन्य विशिष्टियां सत्य रूप से कथित की गई हैं और निर्धारण वर्ष 2009-10 से सुसंगत पूर्व वर्ष के आय-कर के लिए प्रभार्य आय/अनुषंगी फायदों के संबंध में आय-कर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार हैं। मैं यह और घोषणा करता/करती हूँ कि मैं.....की हैसियत में यह विवरणी दे रहा/रही हूँ और मैं इस विवरणी को देने के लिए और सत्यापित करने के लिए भी सक्षम हूँ।

तारीख.....

स्थान.....

.....
नाम और हस्ताक्षर

11. अतिशेष [(8)-(10)]
12. धारा 25क/और या 25कक के अधीन वर्ष में प्राप्त किया गया अप्राप्त किराया
13. (क) धारा 25ख के अधीन वर्ष में प्राप्त किराए के बकाए की रकम
- (ख) घटाएं : धारा 25ख के अधीन अनुज्ञेय कटौती (प्राप्त बकाए किराए का 30%)
14. धारा 25ख के अधीन प्रभार्य आय [13(क)-13(ख)]
15. अतिशेष [(11)+(12)+(14)]
16. 15 का योग (एक से अधिक संपत्ति की दशा में, सभी पन्नों का योग दीजिए)
17. “गृह संपत्ति से आय” (16) शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय

अनुसूची ख : कारबार या वृत्ति से लाभ या अभिलाभ

(I) साधारण

1. कारबार या वृत्ति की प्रकृति : विनिर्माण व्यापार
 विनिर्माण-सह-व्यापार सेवाएं वृत्ति अन्य
2. शाखाओं की संख्या पूरे पता/पते के साथ सूची संलग्न करें

3. लेखा पद्धति वाणिज्यिक नकद
4. क्या लेखा पद्धति में कोई परिवर्तन किया गया है ? हां नहीं
5. यदि हां, तो परिवर्तन का विवरण दीजिए

6. स्टॉक के मूल्यांकन की पद्धति.....
7. क्या स्टॉक मूल्यांकन पद्धति में कोई परिवर्तन किया गया है ? हां नहीं

8. यदि हां, तो परिवर्तन का विवरण दीजिए.....

9. क्या आप धारा 44कक के अनुसार लेखे का अनुरक्षण करने के लिए दायी हैं? हां नहीं

10. क्या आप धारा 44ख(क)/(ख) के अधीन कर संपरीक्षा के लिए दायी हैं ? हां नहीं

11. क्या आप धारा 44 कघ/44कड/44कच के साथ पठित धारा 44कख(ग) के अधीन कर संपरीक्षा के लिए दायी हैं ? हां नहीं

12. यदि 'मद 10 या मद 11' का उत्तर हां है तो क्या आपने विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व लेखे संपरीक्षित कराए हैं ? हां नहीं

13. यदि हां, तो क्या संपरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है ? हां नहीं

यदि हां, तो रसीद सं0और उसको फाइल करने की तारीख दीजिए (प्रति भी संलग्न करें)

(II) सट्टे वाले कारबार से भिन्न कारबार या वृत्ति से आय की संगणना

(यदि आप एक से अधिक कारबार या वृत्ति रखते हैं और पृथक लेखा पुस्तकें अनुरक्षित करते हैं तो प्रत्येक ऐसे कारबार या वृत्ति के लिए संगणना देते हुए पृथक पन्ना (पन्ने) संलग्न करें और विभिन्न मदों के सामने संकलित अंक दर्शाएं)

14. समेकित लाभ और हानि लेखे के अनुसार शुद्ध लाभ या हानि

15. जोड़ें : लेखे की पद्धति और/या स्टॉक के मूल्यांकन में परिवर्तन के कारण समायोजन

धारा 44कघ/44कड/44कच के अंतर्गत आय वाले निर्धारितियों के लिए :--

16 (i) जोड़ें/घटाएं- कारबार(कारबारों) की लाभ/हानि, जिसमें (जिनमें) नीचे दर्शायी गई धारा के अधीन मद 14 में, यदि उपरोक्त किसी मद 9, 11, 12 या 13 का उत्तर 'नहीं' है, सम्मिलित है।

(क). धारा 44कघ के लिए

(ख). धारा 44कड के लिए

(ग). धारा 44कच के लिए

योग

(ii) यदि आप धारा 44कघ में वर्णित सिविल सन्निर्माण के कारबार या सिविल सन्निर्माण के लिए श्रम प्रदाय में लगे थे :

(क). सकल प्राप्तियां

(ख). सकल प्राप्ति की 8% की दर से शुद्ध लाभ

(ग). जोड़ें : उपरोक्त (i)(क) और (ii)(ख) में वर्णित रकमों में से जो भी अधिक हो

(iii) यदि आप दस माल वाहनों से अनधिक के स्वामी थे और धारा 44कड में वर्णित ऐसे वाहनों के चलाने, भाड़े या पट्टे पर लेने के कारबार में लगे थे :

	यानों/वाहनों की सं०	महीनों की सं० जिसके दौरान वे स्वामित्व में थे	धारा 44कड के अधीन समझा गया लाभ
(क) भारी माल यान			
(ख) अन्य माल वाहन		योग	

(ग). जोड़ें : उपरोक्त (i)(ख) में वर्णित रकमों में से जो भी अधिक हो और धारा 44कड के अधीन उपरोक्त समझे गए लाभ के रूप में अवधारित रकम

(III) सट्टे के कारबार से आय की संगणना

27. सट्टे से लाभ/हानि
28. जोड़ें/घटाएं : शुद्ध कानूनी समायोजन
29. सट्टे के कारबार से लाभ और अभिलाभ
30. घटाएं : अग्रनीत सट्टा हानि, यदि कोई हो
31. सट्टे के कारबार से शुद्ध लाभ और अभिलाभ
32. लाभ और अभिलाभ शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय [26(i)+(31)]
(मद 31 में ऋणात्मक अंक पर विचार न किया जाए)

(IV) धारा 11(4) के अधीन कर से प्रभार्य आय की संगणना

33. उपक्रम के कारबार लेखे में यथादर्शित आय [निर्देश धारा 11(4)]
34. धारा 11(4)(32)-(33) के अधीन कर प्रभार्य आय

अनुसूची ग : पूंजी अभिलाभ

एक से अधिक अल्पकालिक/दीर्घकालिक आस्ति की दशा में पृथक पन्ने विवरणी के साथ प्रयुक्त और संलग्न किए जा सकेंगे। संकलित अंक मद सं0 12 के सामने दर्शाए जा सकेंगे।

क. अल्पकालिक आस्ति

1. पन्नों की संख्या (केवल एक से अधिक आस्ति की दशा में)
2. अंतरित की गई आस्ति की विशिष्टियां
3. अर्जन की तारीख (दिन-माह-वर्ष)
4. अंतरण की तारीख (दिन-माह-वर्ष)
5. अंतरण की रीति
6. प्रोद्भूत या प्राप्त पूर्ण मूल्य प्रतिफल

ख. दीर्घकालिक आस्ति

-
-
-
-
-
-

(ड) अन्य	000	
2. उपरोक्त 1 का योग	000	
3. धारा 57 के अधीन कटौतियां		
(क) अवक्षयण		
(ख)		
(ग)		
4. उपरोक्त 3 का योग	000	
5. अतिशेष [(2)-(4)]	000	
6. (क) घुड़दौड़ों के घोड़े रखने और उनके रखरखाव से आय	000	
(ख) धारा 57 के अधीन कटौतियां	000	
7. दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व या उनके रखरखाव से अतिशेष आय [6(क)-6(ख)]	000	
8. लाटरियों, पहलियों, घुड़दौड़ों, आदि से जीतना (धारा 115ख देखिए)	000	
9. “अन्य स्रोतों से आय” शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय [(5)+(7)+(8)]	000	

[मद 7 में ऋणात्मक अंक, यदि कोई हो तो यहां पर विचार न किया जाए]

अनुसूची ड : धारा 71 के अधीन चालू वर्ष की हानियों के मुजरा करने के विवरण

यह अनुसूची केवल तभी भरें यदि किसी अन्य स्रोत से आय के विरुद्ध मुजरे के लिए निम्नलिखित स्रोतों में से किसी से हानि होती है,
अन्यथा लागू नहीं लिखें

1. गृह संपत्ति से उद्भूत हानि की रकम [मद क-17 देखिए]	0000	
2. कारबार से हानि की रकम (सट्टे से हानि को छोड़कर) [मद ख-26 देखिए]	0000	
3. अन्य स्रोतों से हानि की रकम (घुड़दौड़ों से हानि को छोड़कर) [मद घ-5 देखिए]	0000	

3. घटाएं :

- | | | |
|--|-----|----------------------|
| (i). पूर्ववर्ष के दौरान भारत में पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों में अनुप्रयुक्त रकम | 000 | <input type="text"/> |
| (ii) पूर्ववर्ष के दौरान भारत में पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों में अनुप्रयुक्त की गई समझी जाने वाली रकम- धारा 11(1) के स्पष्टीकरण का खंड (2) | 000 | <input type="text"/> |
| (iii) पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए लागू/संचित या पृथक की गई / अंतिम रूप से पृथक की गई रकम, धारा 11(1)(क) के अधीन ऐसे प्रयोजनों के लिए केवल पूर्णतः या भागतः न्यास में धारित संपत्ति से व्युत्पन्न हुई आय के 15% से अधिक नहीं हो | 000 | <input type="text"/> |
| (iv). धारा 11(1) (ग) के अधीन छूट के लिए पात्र रकम | 000 | <input type="text"/> |
| (v). धारा 11(1) (घ) के अधीन छूट के लिए पात्र रकम | 000 | <input type="text"/> |
| (vi). विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए संचित या पृथक की गई उपरोक्त (iii) में निर्दिष्ट रकम के अतिरिक्त कोई रकम, यदि धारा 11(2) में सभी शर्तें पूरी करती हो | 000 | <input type="text"/> |
| (vii) धारा 10 () के अधीन छूट का दावा करने वाली आय, खंड/उपखंड विनिर्दिष्ट करें | | |
| (.....) | 000 | <input type="text"/> |
| (.....) | 000 | <input type="text"/> |
| (viii) राजनैतिक दल के मामले में धारा 13क के अधीन दावा की गई/छूट प्राप्त आय (कृपया अनुसूची ठक भरें) | | |
| (ix) कुल [(i) से (vii)] | | |
4. जोड़ें :
- | | | |
|---|-----|----------------------|
| (i) धारा 11(1ख) के अधीन प्रभार्य आय | 000 | <input type="text"/> |
| (ii) धारा 11(3) के अधीन प्रभार्य आय | 000 | <input type="text"/> |
| (iii) आय, जिसके संबंध में धारा 13 के उपबंधों के कारण धारा 11 के अधीन कोई छूट उपलब्ध नहीं है | 000 | <input type="text"/> |
| (iv) धारा 12(2) के अधीन प्रभार्य आय | 000 | <input type="text"/> |
| (v) कुल [(i)+(ii)+(iii)+(iv)] | 000 | <input type="text"/> |
| 5. जोड़ें : धारा 11(4) के अधीन कर प्रभार्य कारबार या वृत्ति से लाभ और अभिलाभ से आय [अनुसूची ख.34] | 000 | <input type="text"/> |
| 6. सकल कुल आय [(2)-(3)+(4)+(5)] | 000 | <input type="text"/> |
| 7. अध्याय 6क के अधीन कटौती | 000 | <input type="text"/> |
| 8. कुल आय [(6)-(7)] | 000 | <input type="text"/> |

5. पूर्ववर्ती वर्षों में संदेय कर को धारा 115 जकक के अधीन जमा (अनुसूची जक-6)
6. धारा 115जकक के अधीन जमा के पश्चात् संदेय कर [(4)-(5)]
7. अधिभार [उपरोक्त (6) पर]
8. कर +अधिभार [(6)+(7)]
9. माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर सहित शिक्षा [उपरोक्त (8) पर]
10. कर +अधिभार + शिक्षा उपकर [(8)+(9)]
11. निम्नलिखित के लिए ब्याज जोड़ें :
- (क) धारा 234क के अधीन विवरणी विलंब से फाइल करने पर
- (ख) धारा 234ख के अधीन अग्रिम कर के संदाय में व्यतिक्रम पर
- (ग) धारा 234ग के अधीन अग्रिम कर के आस्थगन पर
12. उपरोक्त मद 11 का योग
13. संदेय कर और ब्याज का योग [(10)+(12)]

14. पूर्व संदत्त कर

क. अग्रिम कर

बैंक शाखा का नाम	बैंक शाखा का बी एस आर कोड (7 अंकीय)	जमा की तारीख (दिन मास वर्ष)	चालान की क्रम सं०	रकम (₹0)

किस्त की तारीख	15/9 तक	16/9 से 15/12	16/12 से 15/03	16/03 से 31/03	योग
----------------	---------	---------------	----------------	----------------	-----

	000	000	000	000	000
रकम					

ख. स्रोत पर काटा गया/सूहीत कर :[प्रमाणपत्र संलग्न करें] :

(क).....

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(ख).....

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(ग).....

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[(क) से (ग)] का योग.....

000

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ग. स्वतःनिर्धारण पर कर

बैंक शाखा का नाम	बैंक शाखा का बी एस आर कोड (7 अंकीय)	जमा की तारीख (दिन मास वर्ष)	चालान की क्रम सं०	रकम (रु०)

संदत्त कुल स्वतः निर्धारण कर का योग

000

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

घ. अन्य पूर्व संदत्त कर, यदि कोई हों (कृपया विनिर्दिष्ट और प्रमाण संलग्न करें)

000

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

15. योग [14 (क)+14 (ख)+14 (ग)+14 (घ)]

000

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

16. संदेय कर और ब्याज [(13)-(15)]

000

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

17. देय प्रतिदाय, यदि कोई हो [(15)-(13)]

000

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

अनुसूची ज- साधारण जानकारी

1. पते में परिवर्तन की दशा में, कृपया नया पता दें (टिक लगाएं) :

क. निवास

या ख. कार्यालय

फ्लैट/द्वार/ब्लाक सं०

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

परिसरों/भवन/ग्राम

अनुसूची झ- धारा 11(2) के अर्थान्तर्गत पिछले ग्यारह वर्ष में अर्थात् चालू निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्व वर्ष और दस पूर्ववर्ती निर्धारण वर्ष में संचित/पृथक की गई रकमों का ब्यौरा

संचयन का वर्ष	संचित रकम	क्या धारा 11(5) के उपबंधों के अनुसार विनिधान की गई है	संचयन का प्रयोजन	वर्ष के दौरान अनुप्रयुक्त रकमें	उपयोजन के लिए उपलब्ध अतिशेष रकम	धारा 11 की उपधारा (3) के अर्थान्तर्गत समझी गई आय की रकम

अनुसूची ज- धारा 115जख के अधीन खाता लाभ

1. पूर्व सुसंगत वर्ष के लिए लाभ और हानि खाते में यथादर्शित शुद्ध लाभ-धारा 115जख(2)

2. समायोजन (यदि कोई हो)-धारा 115जख(2)के पहले और दूसरे परंतुक द्वारा

3. समायोजन -धारा 115जख(2) के स्पष्टीकरण द्वारा

मद की प्रकृति	जोड़े	घटाएं

4. कुल समायोजन [(2)+(3)]

5. अतिशेष खाता लाभ [(1)+(4)]

6. खाता लाभ का 10%

अनुसूची जक : धारा 115जकक के अधीन जमा कर

क्रम सं.	मद	निर्धारण वर्ष 2008-09	निर्धारण वर्ष 2009-10
(i)	(ii)	(iii)	(iv)
1.	धारा 115जख के अधीन कर		
2.	अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन कर		
3.	115जख के अधीन अधिक कर		

		[1(iii)-2(iii) यदि 1(iii) 2(ii) से अधिक है + एवाई + 2006-07 और 2007-08 के लिए प्रत्यय एमएटी अग्रणीत किया जाए = 3 (v)]	[1(iv)-2(iv) यदि 1(iv) 2(iv) से अधिक है]
4.	अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन अधिक कर		
			[2(iv)-1(iv) यदि 2(iv) 1(iv) से अधिक है]
5.	धारा 115अकक के अधीन जमा कर (3(iii) और 4(viii) से अन्यून)		

अनुसूची ट- न्यास या संस्था की सभी निधियों के, जो पूर्ववर्ष के अंतिम दिन थी, विनिधान को दर्शाते हुए विवरणी

भाग क- धारा 11(5) के अधीन किए गए विनिधान/निक्षेपों के ब्यौरे (पृथक पन्ने पर दिए जा सकेंगे यदि जगह समुचित नहीं है)

भाग ख- पूर्ववर्ष (पूर्ववर्षों) के दौरान किसी समय धारित विनिधान [उस संबंध में जिसमें धारा 13(3) में किसी सारवान हित को रखने वाले व्यक्ति निर्दिष्ट हैं]

क्र०सं०	संबद्ध का नाम और पता	जहां संबद्ध, कोई कंपनी है, तो शेयरों की सं० और वर्ग	विनिधान का अभिहित मूल्य	विनिधान से आय	क्या स्तंभ 4 की रकम पूर्ववर्ष के दौरान संबद्ध की पूंजी का 5 प्रतिशत से अधिक है- हां/नहीं लिखें
1	2	3	4	5	6
		योग			

भाग ग- अन्य विनिधान, जैसे पूर्ववर्ष (पूर्ववर्षों) के अंतिम दिन थे

क्र०सं०	संबद्ध का नाम और पता	जहां संबद्ध, कोई कंपनी है, तो धारित शेयरों का वर्ग	विनिधान की सं० और अभिहित मूल्य

1	2	3	4

अनुसूची ठ - संस्था के न्यास के कर्ता(कर्ताओं)/संप्रवर्तक(संप्रवर्तकों)/न्यासी(न्यासियों)/प्रबंधक(प्रबंधकों), आदि के संबंध में विशिष्टियों की विवरणी

1. कर्ता(कर्ताओं)/संप्रवर्तक(संप्रवर्तकों) का(के) नाम और पता (पते), यदि जीवित है(हैं)
2. वह तारीख जिसको न्यास सृजित किया गया था या संस्था स्थापित की गई थी या कंपनी निगमित की गई थी
3. पूर्ववर्ष (पूर्ववर्षों) के दौरान उस(उन) व्यक्ति (व्यक्तियों) का(के) नाम जो न्यासी/प्रबंधक था (थे)
4. उस व्यक्ति का (उन व्यक्तियों के) नाम जिसने/जिन्होंने धारा 13(3)(ख) के निबंधनों के अनुसार न्यास/संस्था में सारवान अभिदाय किया है ।
5. नातेदार का (नातेदारों के), कर्ता का (कर्ताओं के) संप्रवर्तक(संप्रवर्तकों), न्यासी (न्यासियों), प्रबंधक (प्रबंधकों) का(के) नाम और सारवान अभिदाय (अभिदायों) और जहां कोई ऐसा कर्ता, संप्रवर्तक, न्यासी, प्रबंधक या सारवान अभिदायकर्ता हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब का है तो कुटुम्ब के सदस्यों और उनके नातेदारों के नाम भी दीजिए

अनुसूची ठक (राजनैतिक दल के मामले में)

1. क्या लेखा पुस्तक रखी जाती है ? हां नहीं
2. क्या बीस हजार रुपए से अधिक प्रत्येक स्वैच्छिक अभिदाय का अभिलेख रखा जाता है (व्यक्ति का नाम और पता जिसने ऐसा अभिदाय किया है हां नहीं
3. क्या लेखा की संपरीक्षा की जाती है, यदि हां, तो संपरीक्षा की तारीख हां नहीं
4. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ग की उपधारा(3) के अधीन रिपोर्ट जमा की गई है हां नहीं

अनुसूची ड : सीमांत फायदों का मूल्य (यदि लागू हो)

व्यय की प्रकृति (i)	व्यय की रकम/मूल्य (ii)	प्रतिशत (iii)	सीमांत फायदे का मूल्य (iv)=(ii)x (iii) ÷ 100
1. कोई विनिर्दिष्ट प्रतिभूति या निर्गत साधारण शेयर [धारा 115बख (1)(घ)][कर्मचारी से वसूल की गई या उसके द्वारा संदत्त रकम और विनिहित तारीख को उचित बाजार मूल्य के बीच का अंतर] और कर्मचारियों या उनके कुटुम्ब के सदस्यों की प्राइवेट यात्रा के लिए उपबंधित निःशुल्क या रियायती टिकट (स्तंभ (ii) में दिया गया मूल्य जन साधारण के टिकट का मूल्य होगा, जिसमें से कर्मचारी द्वारा संदत्त या वसूल की गई रकम, यदि कोई हो, कम कर दी जाएगी)	<input type="text"/>	100	<input type="text"/>
		<input type="text" value="0000"/>	<input type="text"/>
2. कर्मचारियों के लिए अनुमोदित अधिवार्षिकी निधि में किया गया अभिदाय (प्रत्येक कर्मचारी के संबंध में एक लाख रुपए से अधिक हों)	<input type="text"/>	100	<input type="text"/>
		<input type="text" value="0000"/>	<input type="text"/>
3. मनोरंजन	<input type="text"/>	20	<input type="text"/>
		<input type="text" value="0000"/>	<input type="text"/>
4.(क) (4ख), (4ग) औप (4घ) में निर्दिष्ट कारबार से अन्यथा कारबार में सत्कार	<input type="text"/>	20	<input type="text"/>
		<input type="text" value="0000"/>	<input type="text"/>
4(ख) होटल कारबार में सत्कार	<input type="text"/>	5	<input type="text"/>
		<input type="text" value="0000"/>	<input type="text"/>
4(ग) वायुयान द्वारा यात्रियों या माल के वाहक के कारबार में सत्कार	<input type="text"/>	5	<input type="text"/>
		<input type="text" value="0000"/>	<input type="text"/>
4(घ) पोत द्वारा यात्रियों या माल के वाहक के कारबार में सत्कार	<input type="text"/>	5	<input type="text"/>
		<input type="text" value="0000"/>	<input type="text"/>

15. स्वास्थ्य क्लब और वैसी ही सुविधाओं का उपयोग । 50

16. किसी अन्य क्लब सुविधा का उपयोग । 50

17. दान । 50

18. छात्रवृत्तियां । 50

19. दौरा और यात्राएं (जिसके अंतर्गत विदेश यात्राएं भी हैं) 5

20. सीमांत फायदों का मूल्य । [स्तंभ (iv) का योग]

21.(क) क्या आप भारत में और बाहर दोनों आधार पर कर्मचारी रखते हैं ? यदि हां, तो 1 लिखें और यदि नहीं तो 2 लिखें

(ख) यदि हां, तो क्या आप भारत और विदेश के प्रचालनों के लिए पृथक लेखा पुस्तकें अनुरक्षित करते हैं ? [20]

22. यदि कर्मचारी भारत से बाहर नहीं, सीमांत फायदों का मूल्य [20]

0000

23.क यदि कुछ कर्मचारी भारत से बाहर

0000

है और भारतीय विदेश प्रचालन के लिए पृथक लेखा पुस्तकें अनुरक्षित की जाएंगी (ऐसी लेखा पुस्तकों के आधार पर अंकों में (1) से (19) के आधार पर भरी जाएंगी), सीमांत फायदों का मूल्य [20] (ख) यदि कुछ कर्मचारी भारत से बाहर हैं और भारतीय विदेश प्रचालन के लिए पृथक लेखा पुस्तकों को अनुरक्षण नहीं है (ऐसी पुस्तकों के आधार पर (1) से (19) भरा जाए)

(i) भारत में कर्मचारियों की संख्या

0000

(ii) भारत में और भारत से बाहर, दोनों कर्मचारियों की कुल संख्या

0000

(iii) कर योग्य सीमांत फायदों का मूल्य (स्तंभ 20 X स्तंभ 23(ग)(i)÷स्तंभ 23(ग)(ii))

0000

अनुसूची - ढ- अग्रिम अनुषंगी फायदा कर (यदि लागू हो)

बैंक शाखा का नाम	बैंक शाखा का बी एस आर कोड (7 अंकीय)	जमा की तारीख (दिन मास वर्ष)	चालान की क्रम सं०	रकम (रु०)

किस्त की तारीख	15 सितंबर या उससे पहले	15 दिसंबर या उससे पहले	15 मार्च या उससे पहले
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
रकम			

कुल संदत्त अग्रिम सीमांत फायदा कर

0000

अनुसूची ण- स्वतःनिर्धारण पर संदत्त सीमांत फायदा कर (यदि लागू हो)

